पत्रांकः— वन भूमि—29 / 2020 393 (ई) / प०व०ज०प०

**बिहार सरकार**

**पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग**

**प्रेषक,**

**मोख्तारूल हक,**
परामर्शी।

**सेवा में,**

**सचिव**
**पर्यावरण, वन एवं जलवायु परितर्वन मंत्रालय,**
भारत सरकार, इंदिरा पर्यावरण भवन,
जोरबाग रोड, नई दिल्ली—110003

**पटना—15, दिनांक** 03/04/2020

**विषय :—** गया जिलान्तर्गत पेय जलापुर्ति के लिये गंगा जल उद्वह योजना के अंतर्गत जल संचयन, जल शोधन संयन्त्र एवं पावर स्टेशन निर्माण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 98.05 हे० वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव पर सैद्धांतिक स्वीकृति के संबंध में।

**प्रसंग :—** अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक(कैम्पा)—सह—नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण) बिहार, पटना का पत्रांक—277 दिनांक—17.03.2020 (यथा संशोधित पत्रांक—326 दिनांक—03.04.2020)

**महाशय,**

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संदर्भ में सूचित करना है कि विषयांकित प्रस्ताव कार्यपालक अभियंता, तिलैया नहर प्रमंडल, वजीरगंज (गया) द्वारा समर्पित किया गया है, जो प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना के अनुमोदनोपरांत नोडल पदाधिकारी, (वन संरक्षण), बिहार की अनुशंसा के साथ प्राप्त हुआ है।

उक्त परियोजना का निर्माण गया एवं बोधगया में जलापूर्त्ति व्यवस्था को सालोभर सुदृढ़ करने के उदेश्य से किया जाना है।

वन प्रमंडल पदाधिकारी, गया द्वारा स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन में परियोजना निर्माण में अपयोजित होने वाली कुल—98.05 हे० भूमि की विवरणी निम्न प्रकार से अंकित की गयी है:—

| क्र० सं० | वन प्रक्षेत्र का नाम | राजस्व ग्राम | भूमि का किस्म | अधिसूचना संख्या | रकबा (हे० में) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | अतरी | तैतर | अधिसूचित वनभूमि (PF) | C/PF 10148/52-25R Dated-02.01.1953 | 35.71 |
| 2 | अतरी | बिकैपुर | अधिसूचित वनभूमि (PF) | C/PF 170/54-3412R Dated-09.08.1954 | 52.43 |
| 3 | गया | पेहानी | पहाड़ (Phad) | | 3.38 |
| 4 | गया | अबगीला | अधिसूचित वनभूमि (PF) | C/PF 170/54-34092R Dated-09.08.1954 | 6.53 |
| | | | | **कुल** | **98.05** |

वन प्रमंडल पदाधिकारी, गया द्वारा अपने निरीक्षण प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है कि परियोजना निर्माण में 2370 बांस के बखार सहित 2991 पौधें प्रभावित होंगे।

अपयोजित होने वाली वनभूमि को दर्शाते हुए मूल टोपो सीट एवं Geo-referenced नक्शा संलग्न है।

VR 5 One-127

वन प्रमंडल पदाधिकारी, गया द्वारा भाग–II की प्रविष्टि में वनों का वानस्पतिक घनत्व 0.2 एवं प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लघंन नहीं करने की सूचना अंकित की गयी है। परियोजना निर्माण में अपयोजित होने वाली वनभूमि के बदले जिला पदाधिकारी, गया द्वारा निर्गत FRA-2006 प्रमाण–पत्र की मूल प्रति प्रस्ताव के साथ संलग्न है।

परियोजना निर्माण में अपयोजित होने वाली वनभूमि आश्रयणी एवं इसके इको–सेंसिटिव जोन से बाहर है। परियोजना क्षेत्र राजगीर वन्यप्राणी आश्रयणी से लगभग 21 कि०मी० की दूरी पर अवस्थित है।

परियोजना निर्माण में अपयोजित होने वाली वनभूमि के समतुल्य चिन्हित गैर वनभूमि की विवरणी निम्नवत् हैः–

| क्र. सं. | अंचल | मौजा | थाना सं. | खाता सं. | खेसरा सं. | रकवा (एकड़ में) | भूमि का किस्म |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | गुरारू | ईंटहरी | 61 | 200 | 885<br>885/2959 887<br>905<br>887/2960<br>868<br>875<br>872 | 49.30<br>01.38<br>32.47<br>10.28<br>10.79<br>04.79<br>01.47<br>00.14<br>**110.62** | गैरमजरूआ मालिक परती कदीम |
| 2 | इमामगंज | इमनावाद | 159 | 192 | 52<br>56<br>57 | 24.50<br>40.10<br>37.05<br>**101.65** | अनावाद बिहार सरकार जंगल |
| 3 | रजौली (नवादा जिला) | रामदासी | 182 | | | 12.50 | कार्यपालक अभियन्ता, तिलैया नहर प्रमंडल से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर जल संसाधन विभाग के स्वामित्व की भूमि। |
| | | बौढ़ीकला | 179 | | | 17.50 | |
| | | | | | कुल | **242.27 एकड़ (98.05 हे०)** | |

उक्त स्थल का निरीक्षण प्रतिवेदन, GPS Reading, Land Suitability Certificate, Geo-referenced नक्शा, टोपोशीट नक्शा, KML File एवं चिन्हित स्थल पर क्षतिपूरक वनीकरण का प्राक्कलन वन प्रमंडल पदाधिकारी, गया एवं नवादा द्वारा उपलब्ध कराया गया जो प्रस्ताव के साथ संलग्न है।

वन (संरक्षण), अधिनियम, 1980 के तहत निम्नांकित शर्त्तों के साथ प्रस्ताव की अनुशंसा की जाती है :–

1. भूमि का वैधानिक स्वरूप यथावत रहेगा।
2. 98.05 हे० वन भूमि के लिये नेट प्रजेन्ट भेल्यू (NPV) के मद में रू० 6.26 लाख प्रति हे० के दर से रू० 6,13,79,300/–(छः करोड़ तेरह लाख उनासी हजार तीन सौ रूपये) मात्र प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के पक्ष में जमा कराया जायेगा।
3. अपयोजित होने वाली 98.05 हे० वनभूमि के बदले में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित समतुल्य गैर वनभूमि 98.05 हे० गया वन प्रमंडल अंतर्गत इमामगंज एवं गया प्रक्षेत्रों तथा नवादा वन प्रमंडल के रजौली प्रक्षेत्र अंतर्गत चिन्हित करते हुए रू० 1,77,26,894/– (एक करोड़ सतहत्तर लाख छबीस हजार आठ सौ चौरानवे रूपये) मात्र का प्राक्कलन प्रस्ताव के साथ संलग्न है। क्षतिपूरक वृक्षारोपण की राशि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा तात्कालिक मजदूरी दर पर उपलब्ध करायी जाएगी।
4. वृक्षों का पातन विभागीय देखरेख में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा अपने खर्च पर किया जएगा एवं पातित काष्ठ को विभागीय वनागार तक पहुँचाया जाएगा। प्राप्त काष्ठ की नीलामी इत्यादि के लिए विभाग को 1108/– रूपये प्रति घनमीटर की दर से राशि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा उपलब्ध कराएगी।
5. क्षतिपूरक वनीकरण हेतु समतुल्य गैर वनभूमि उपलब्ध कराये जाने एवं इसका पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार के पक्ष में Mutation कराये जाने के उपरान्त भारत सरकार द्वारा स्वीकृति हेतु निर्णय लिया जाएगा।

प्रस्ताव को संलग्न अभिलेख सहित भेजते हुए अनुरोध है कि उपर्युक्त प्रस्ताव के संदर्भ में लिया गया निर्णय राज्य सरकार को संसूचित करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन

31/12/2020

(मोख्तारूल हक)
परामर्शी

VR 5 One-129